संख्या-24/2024/001-2672913(1)/12-2002/8/2021

प्रेषक,

ऋषिरेन्द्र कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 07 मार्च, 2024

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-107-वनस्पति संरक्षण-04-विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-कृ0र0 1644/लेखा/कीट रोग योजना/2023-24, दिनांक 05 जनवरी, 2024 एवं पत्र संख्या-कृ0र0 1921/लेखा/कीट रोग योजना/2023-24, दिनांक 10 फरवरी, 2024 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 की अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 107-वनस्पति संरक्षण, 04-विभिन्न पारिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना के मानक मद 27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि रूपये 1550.00 लाख के सापेक्ष हो रही बचत से रूपये 440.55 लाख, अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 107-वनस्पति संरक्षण, 04-विभिन्न पारिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना के मानक मद 42-अन्य व्यय में रूपये 156.75 लाख एवं 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय में रूपये 283.80 लाख अर्थात कुल धनराशि रूपये 440.55 लाख (रूपये चार करोड़ चालीस लाख पचपन हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि को विभागीय बचतों से संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

1. आउटसोर्स मानव संसाधन के सम्बन्ध में भुगतान से पूर्व इनकी संख्या, आवश्यकता, सक्षम स्तर के निर्णय तथा अन्य सुसंगत तथ्यों के सम्बतन्ध में समस्त प्रकार का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।
2. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
3. जिस योजना/मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
4. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद/कार्यो में आहरित कर व्यय की जायेगी।
5. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
6. प्रस्ताव में आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व विभाग का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/ 2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2401001070400 (विभिन्न परिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट / रोग नियंत्रण)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	011	2401001070400 विभिन्न परिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट / रोग नियंत्रण	42 अन्य व्यय	1,56,75,000 (रुपये एक करोड़ छप्पन लाख पचहत्तर हजार मात्र)
2	011	2401001070400 विभिन्न परिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट / रोग नियंत्रण	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2,83,80,000 (रुपये दो करोड़ तिरासी लाख अस्सी हजार मात्र)
	कुल			**4,40,55,000** **(रुपये चार करोड़ चालीस लाख पचपन हजार मात्र)**

महायोग	4,40,55,000 (रुपये चार करोड़ चालीस लाख पचपन हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/ 2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-24/2024/001-2672913(2)/12-2002/8/2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त् कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उ0प्र0।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

A012-20232024-2672913 2024 12-2002 8 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-107-वनस्पति संरक्षण 04-विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना हेतु पुनर्विनियोग प्रस्ताव।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2401001070400 (विभिन्न परिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट / रोग नियंत्रण)	27 (सब्सिडी)	15,50,00,000 रुपये पंद्रह करोड़ पचास लाख मात्र	4,40,55,000 रुपये चार करोड़ चालीस लाख पचपन हजार मात्र	4,40,55,000 रुपये चार करोड़ चालीस लाख पचपन हजार मात्र	11,09,45,000	2023-2024

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2401001070400 (विभिन्न परिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट / रोग नियंत्रण)	42 (अन्य व्यय)	60,00,000 रुपये साठ लाख मात्र	1,56,75,000 रुपये एक करोड़ छप्पन लाख पचहत्तर हजार मात्र	2,16,75,000	2023-2024
011	2401001070400 (विभिन्न परिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट / रोग नियंत्रण)	44 (प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय)	40,00,000 रुपये चालीस लाख मात्र	2,83,80,000 रुपये दो करोड़ तिरासी लाख अस्सी हजार मात्र	3,23,80,000	2023-2024

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1- स्तम्भ-2 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-3 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है:-

(अ)-27-सब्सिडी मद में पूर्ण व्यय सम्भव न होने कारण बचत है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

(ब)- मानक मद 42-अन्य व्यय, 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय में किसान खेत स्कूल के माध्यम से आई0पी0एम0 प्रशिक्षण कम प्रदर्शन के लिए धनराशि आवश्यकता से कम होने के कारण।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

बजट-1-520 दि० 01/3/2024

संख्याः आर ई-< >-2023-24, दिनांक- जनवरी, 2024

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(विनोद कुमार सिंह)
उप सचिव।

Digitally Signed by रमेश चन्द्र तिवारी
Date: 29-02-2024 12:28:13
Reason: Approved
(रमेश चन्द्र तिवारी)
उप सचिव।

संख्याः 2672913 2024 12-2002 8 2021 दिनांक- जनवरी, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (बी0एम0-9 तीन प्रतियाँ में)।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
8- गार्ड बुक।

16/1/2024
Gunjan Dubey
16-1-2024

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।